

# न्यायालय नायब तहसीलदार प्रथम / द्वितीय अजमेर

राजस्व मुकदमा संख्या 48/2017

अध्याय 91 राज. धू-राजस्व

अधिनियम, 1956

सरकार जरिए पटवारी हल्का लाडपुरा कमाय

श्री साधु सिंह श्री. हीरामांछ  
कोम उद्योग

शिव लाडपुरा

## निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का लाडपुरा ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम लाडपुरा खसरा नं. 1442 खसरा 38 किस्म बीड चरगाहा स्थायिक है, पर संवत् 2073 में अतिक्रमण कर रबी / खरीफ में फसल पक्का निर्माण बो दी है। घास / बाड़ा / मकान वा अन्य तरीके से अनाधिकृत कब्जा कर लिया है।

पटवारी रिपोर्ट से आश्वस्त होकर विपक्षी के खिलाफ अन्तर्गत धारा 90 ए. एवं 91 राज. धू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस की गई। विपक्षी बावजूद नोटिस पर हाजिर / गैरहाजिर आया। इसलिए प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी ने उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार / अस्वीकार किया। बचाव पक्ष में किसी तरह की शहादत पेश नहीं की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विपक्षी को विवादित आराजी से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। धू-अभिलेख निरीक्षक श्री डी. को फसल की मिलायी / निर्माण कार्य जब सरकार कर फर्द पेश करेंगे एवं दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 2 का 50 गुणा 100/- का शास्ति रुपया 500/- कायम की जाती है।

तहसील राजस्व लेखाकार को कायमी व पटवारी को कायमी बेदखली हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 10/3/2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस पत्रावली की मांग की राशि 100/-  
रा.ले.सं.-4 वर्ष 2017-2018 के पृष्ठ सं. 11 पर इन्द्राज की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार  
अजमेर

नायब तहसीलदार प्रथम/द्वितीय  
अजमेर द्वितीय